माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य, प्रदेश

==

निग.प्र.क्र. /- I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/1995 सन् 18

मूरतलाल तनय पूरन बाजपेयी नि.कटहरा तह. लौंड़ी जिला- छतरपुर म.प्र. (मृत) वारसान पुत्र ओमप्रकाश तनय मूरतलाल बाजपेयी नि. कटहरा तह. लवकुशनगर जिला- छतरपुर म.प्र. --- --- निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. खिलैया तनय पंचा अहिरवार नि. खिलपतपुरा तह. लौंड़ी जिला- छतरपुर म.प्र. ।

2. घंसू तनय भैयाराम कोरी नि. ग्रा. कटहरा तह. लौंड़ी जिला- छतरपुर म.प्र. । ---- --- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक- 13-10-17 अपरआयुक्त सागर संभाग सागर केम्प छतरपुर के प्र.क्र. 85बी/121/2016-17 ।

===

निग. अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू. रा. सं. 1959

===

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदक सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि आराजी ख.नं. 173/2 रकवा 0.809 हे. स्थित ग्राम कटहरा तह. लवकुशनगर जिला- छतरपुर म.प्र. निगरानीकर्ता के पिता मूरतलाल का आबाधित कब्जें की भूमि है थी मूरतलाल जब तक ~~[illegible]~~ जीवित रहा तब तक अपने जीवनकाल में निरंतर उक्त भूमि पर काबिजरहे है उनके मरने के बाद आवेदक का अधिपत्य है और आज भी आवेदक का कब्जा चला आ रहा है ।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1995 मूरतलाल विरूद्ध खिलैया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्री मूरतलाल के अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव को पूर्व में दिनांक 04-07-2018 को सुना गया । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक मूरतलाल की मृत्यु 28-12-2015 को हो चुकी उसके वारसान का आवेदन 05-08-2016 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया । जिसमें बताया गया कि मूरतलाल की मृत्यु की जानकारी आवेदक को अधिवक्ता द्वारा फोन पर 03-08-2016 को हुई जिसके संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया । चूंकि मामला बंटन संबंधित है बंटन में भू-राजस्व संहिता में एक अपील व एक निगरानी का प्रावधान दिया गया है भू-राजस्व संहिता में द्वितीय अपील का प्रावधान बंटन में नही किया गया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत किया गया जो निरस्त किया जाता है । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 16.7.18	